कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ।

पत्रांक: 1113 /जि0यो0–प्र0वि0स्वी0 / 2008–09 दिनांक: 3/6/2008

कार्यालय ज्ञाप

संयुक्त सचिव, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 1332 / 11–2008–03(41) / 03 सिंचाई विभाग दिनांक 21 अप्रैल, 2008 द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की योजनाओं के कियान्वयन हेतु आयोजनात्मक पक्ष जिला योजना में जनपद पिथौरागढ हेतु निर्माणाधीन सिंचाई नहरें अन्य रख रखाव हेतु 68.86 लाख रू0 तथा लघुडाल नहरों के पुनरोद्धार हेतु 15.02 लाख रू0 की धनराशि (कुल 83.88 लाख रू0) की धनराशि स्वीकृति / निर्वतन पर रखी गयी है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खंड पिथौरागढ ने अपने पत्र संख्या 873 / सिनिखपि / जि0यो0 / 2008–09 / धनावंटन दिनांक 13.05.2008 द्वारा निर्माणाधीन सिंचाई नहरे अन्य रख रखाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष में जिला योजना के अन्तर्गत अनुमोदित 94.94 के सापेक्ष निर्वतन पर रखी गयी 68.86 लाख रू0 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति चाहने हेतु इस कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तथा अनुमोदित कार्य योजनाओं की सूची उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त शासनादेश में दिये निर्देशानुसार तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खंड पिथौरागढ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में वर्ष 2008–09 की जिला योजना में निर्माणाधीन सिंचाई नहरें अन्य रख रखाव हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित कार्यो के सम्पादन हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 624 / जि0यो0 / रा0यो0आ0 / मु0स0 / 2008 दिनांक 24.03.2008 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत कुल 68.86 लाख रू0 (अडसठ लाख छियासी हजार रू0) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

1. उक्त शासनादेश संख्या 1332 / 11–2008–03(41) / 03 सिंचाई विभाग दिनांक 21 अप्रैल, 2008 में उल्लेखित समस्त शर्तो एवं प्राविधानो का पालन सुनिश्चित किया जाय।
2. इस धनराशि का व्यय केवल जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2008–09 में अनुमोदित कार्यो के लिये किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय स्वीकृत योजनाओं पर ही आवंटित सीमा तक किया जाय। धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों / शासनादेश के तहत् किया जाय। जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति / स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
4. जिन मामलो में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उसमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियाँ अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. जिन योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जाने हो उनके आगणनो की तकनीकी जाँच जिला स्तर पर गठित तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (टी0ए0सी0) के परीक्षीणोपरान्त योजनान्तर्गत धनराशि व्यय की जाय।
6. कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा कार्य निर्धारित सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी की होगी।
7. निर्माण कार्यो की गुणवत्ता प्रगति हेतु सम्बन्धित अभियन्ता उत्तरदायी होगें।
8. स्वीकृति धनराशि ऐसे कार्यो पर व्यय न की जाय जिसमें किसी प्रकार का विवाद हो, साथ ही कार्य प्रारम्भ करने की भूमि की स्थिति, कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित कार्य का फोटोग्राफ पत्रावलो में सुरक्षित रखा जाय।
9. स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2009 तक कर लिया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति विवरण विभागाध्यक्ष / शासन को उपलब्ध कराया जाय।
10. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 1 वित्तीय अधिकारो का प्रतिनिधादन नियम संग्रह खण्ड 5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुवल) तथा अन्य सुसंगत नियम / शासनादेश आदि का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
11. व्यय केवल उन्हीं मदो में किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है। आहरण / व्यय एक मुस्त न करके आवश्यकता अनुसार ही किया जाय।
12. व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशो में निहित निर्देशो का कडाई से अनुपालन किया जाय।
13. उपरोक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण / व्यय शासनादेशो में निहित शर्तो के अधीन किया जाय।
14. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र शासन / विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा।
15. मासिक व्यय विवरण / सी0ए0–8 प्रत्येक माह अपने विभागाध्यक्ष को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः–

16. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या 20 मतदेय (आयोजनागत) 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत व्यय 06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनाये (जिला योजना) 800–अन्य व्यय 02 अन्य रखरखाव व्यय 91–निमार्णाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनाये (जिला योजना) 24 – बृहद निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

यह आदेश मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनॉक 24.03.2008 /शासनादेश संख्या 1332/11–2008–03(41)/03 सिंचाई विभाग दिनॉक 21 अप्रैल, 2008 तथा अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या 985/जिला योजना/टी0ए0सी0गठन/2008–09 दिनॉक अप्रैल 30, 2008 के कम में जारी किये जा रहे है।

(डी.सेंथिल पांड्यिन)
जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।

संख्याः 113 /जि0यो0/प्रा0वि0स्वी0/2008–09 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खंड, पिथौरागढ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ।
3. अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ।
4. उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) कुमॉयू मंडल हल्द्वानी।
5. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ प्रेषित।

1. ऑयुक्त कुमॉयू मंडल नैनीताल।
2. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग उत्तराखंड देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
4. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग बजट सैल उत्तराखंड शासन देहरादून।
6. महालेखाकार, उत्तराखंड देहरादून।
7. सचिव, सिचाई,उत्तराखंड देहरादून।
8. सचिव, नियोजन, उत्तराखंड शासन देहरादून।
9. सचिव, वित्त उत्तराखंड शासन देहरादून।

30/07/08
जिलाधिकारी
पिथौरागढ।